19.10.22	पत्रावली पेश हुई। अकुलाम उपस्थित। वादी अभिभाषक(?) से प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 c.p.c. के प्रार्थना पत्र की बहस सुनी गई। बहस पर मनन तथा पत्रावली मे प्रस्तुत साक्ष्य, राजस्व अभिलेख तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 c.p.c. के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाकर प्रकरण में निर्णय/डिक्री पृथक से जारी कर पत्रावली फैसल शुमार कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जाती है। ह० 19/10/22 उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Form-lll

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 178/2022

उनवान

श्रीमती संतोष पत्नी ऊँकार बामनिया जाति भील निवासी नई आबादी, शितला माता मन्दिर के पास, गढ़ी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: वादीया

बनाम

(1) ज़हिर खान पिता अब्दुल लतीफ मकरानी जाति मुसलमान निवासी सदर बाजार, गढ़ी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

(2) तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 19.10.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया के पति द्वारा पूर्व पुस्तैनी पैनल्टी धारक जमीन पिछले 40 वर्षों से काबिज है। जो कि पिछले सन् 1990 से पैनल्टी वार्षिक लगान अदा की जा रही है। जो कि खसरा नम्बर 3182 रकबा 0.80 एयर वाके ग्राम गढ़ी, पटवार मण्डल गढ़ी, तहसील गढी ज़िला बांसवाड़ा की वार्षिक लगान अदा की जा रही है और उक्त जमीन पर वादीया की बागड की हुई है और वादीया के पशुगण दिन को चारागाह के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जो कि वार्षिक लगान रसीद नम्बर 1711 वादीया के पति के नाम से ऊँकार पिता कचरा के नाम से दिनांक 26/10/1990 वार्षिक लगान की गई है। जिसकी रसीद इस वाद पत्र के साथ संलग्न है व पुस्तक संख्या 056118 रसीद 446 दिनांक 16/12/1991 पैनेल्टी 20/— रूपये वार्षिक लगान रसीद व 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 की सभी लगान रसीदें संलग्न है और प्रतिवर्ष वार्षिक लगान अदा की जा रही है और सन् 2007 से वादीया के नाम से वार्षिक लगान अदा की जा रही है और वादीया के नाम से ही 91 के नाटीस तहसील कार्यालय से आ रहे हैं और वादीया द्वारा वार्षिक लगान अदा की जा रही है और 91 के नोटीस के पिछे ही राजस्व अधिकारीयों द्वारा वार्षिक लगान लिखकर रसीद वापस दी जा रही है और वर्ष 2011 तक खसरा नम्बर 3182 रकबा 0.80 एयर की रसीद संलग्न है। जो कि राजस्व अधिकारीयों की गलती से सन् 2011 से खसरा नम्बर 3182 रकबा 0.80एयर की जगह 0.20 एयर गलती से कर दिया गया है। जो कि कुल रकबा 0.80 एयर पर वादीया काबिजा कब्जा काश्त है एवं उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। जो कि 1990 से 2022 तक वार्षिक लगान अदा की जा रही है। करीब 04 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 आया और कहने लगा कि इस जमीन पर पत्थर डलवाउंगा, यह मेरी खातेदारी जमीन है और पत्थर डलवाकर पक्का निर्माण करने का कहने लगा। जिस पर वादीया ने कहा कि उक्त खसरा नम्बर की भुमि पर पिछले 40 वर्षो से वार्षिक लगान अदा की जा रही है और हम काबिज है और उपयोग उपभोग किया जा रहा है जिस पर प्रतिवादी जेसीबी लेकर आया और हमसे लडाई झगडा करने लगा और कहने लगा कि यह तो हमारी खातेदारी जमीन है और कहने लगा कि तहसील में पटवार मण्डल में क्यों नहीं आए जिस पर वादीया ने कहा कि हम तो हमारी जमीन पर काबिज है और काबिज रहेंगे। पिछले 40 वर्षों से हम काबिज है व उक्त जमीन पर उपयोग उपभोग कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 उतारू हो गया और कहने लगा कि जमीन तो मैं लेकर रहुंगा, जो होता हो कर लेना। जिस पर प्रार्थीया ने कहा कि ये तो हमारी जमीन है हम इस जमीन से हटेंगे नहीं। जो कि प्रतिवादी संख्या 01 कहने लगा कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस थाना गढ़ी में रिपोर्ट दुंगा। जिस प्रकार यह विवाद उत्पन्न हुआ है। जिस हेतु खातेदार कृषक घोषित करने धारा 88, 209 रा.का.अधिनियम तथा वादीया के पति द्वारा पूर्व पुस्तैनी पैनल्टी धारक जमीन पिछले 40 वर्षो से काबिज है। जो

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

कि पिछले सन् 1990 से पैनल्टी वार्षिक लगान अदा की जा रही है। जो कि खसरा नम्बर 3182 रकबा 0.80 एयर की वार्षिक लगान अदा की जा रही है और उक्त जमीन पर वादीया की बागड की हुई है और वादीया के पशुगण दिन को चारागाह के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जो कि वार्षिक लगान रसीद नम्बर 1711 वादीया के पति के नाम से ऊंकार पिता कचरा के नाम से दिनांक 26/10/1990 वार्षिक लगान की गई है। जिसकी रसीद इस वाद पत्र के साथ संलग्न है व पुस्तक संख्या 056118 रसीद 446 दिनांक 16/12/1991 पैनेल्टी 20/– रूपये वार्षिक लगान रसीद व 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 की सभी लगान रसीदें संलग्न है और प्रतिवर्ष वार्षिक लगान अदा की जा रही है और वर्ष 2011 तक खसरा नम्बर 3182 रकबा 0.80 एयर की रसीद संलग्न है। वादीया का वाद हेतु आज से 04 दिन पूर्व वादीया के पैनल्टीधारक भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 डरा धमका रहा है एवं पत्थरों से पक्का निर्माण का प्रयास कर रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त भुमि को बेबैचान को आमदा है व उक्त कृषि भुमि को खुर्द–बुर्द कर वादीया को बेदखल करने का प्रयास करने से उत्पन्न हुआ है। दावा अन्दर म्याद है एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बैचान, बेदखल व खुर्द बुर्द न करें, न किसी अन्य से करावें, के लिए पाबन्द हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत उक्त वाद प्रस्तुत हुआ।

वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से श्री अतिक अहमद, अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति वादी अभिभाषक को दिलाई जाने पर वादी अभिभाषक द्वारा लेने से ईन्कार करतें हुऐ प्रार्थना–पत्र की बहस बाबत् कथन किया।

प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र पर वादी अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने एंव पत्रावली में प्रस्तुत वाद, राजस्व अभिलेख तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त अवलोकन करने पर पाया गया कि वादीया द्वारा श्रीसरकार खाता संख्या 01 के सर्वे नम्बर 3182 रकबा 0.80 हे0 भूमि पर खातेदार घोषित होने का वाद प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायोचित नही होकर पोषणीय नही है।

अतः वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व चाही गई दादरसी न्यायोचित नही होकर पोषणीय नही होने से वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

(महकम सिंह सिनसिनवार)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

आदेश

वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व चाही गई दादरसी न्यायोचित नही होकर पोषणीय नही होने से वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, मुकामः गढ़ी व इजलासः मोहकम सिंह सिनसिनवार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 178/2022

उनवान

श्रीमती संतोष पत्नी ऊँकार बामनिया जाति भील निवासी नई आबादी, शितला माता मन्दिर के पास, गढ़ी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: वादीया

बनाम

(1) ज़हिर खान पिता अब्दुल लतीफ मकरानी जाति मुसलमान निवासी सदर बाजार, गढ़ी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

(2) तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 19.10.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेष होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व चाही गई दादरसी पोषणीय नही होने से वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 19.10.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

(मोहकम सिंह सिनसिनवार)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner